



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240976  
CG-DL-E-10122022-240976

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]  
No. 779]

नई दिल्ली, शनिवार, शनिवार, 10, 2022/अग्रहायण 19, 1944  
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2022/AGRAHAYANA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

सं. 103/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का. नि. 873 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसके एतद्वारा एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेगुलेशन, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1 लघु शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को डाक द्वारा निर्यात (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जायगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेगुलेशन, 2018 (इसके बाद इन विनियमों को उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, "इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाता हो" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, संलग्न प्रपत्रों को निम्नलिखित प्रपत्रों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

## “ पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -I (पी बी ई- I)

( देखें विनियमन 4 )

(ई-कॉमर्स के माध्यम से माल के निर्यात के लिए)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी. एस. टी आइ एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	अधिकृत एजेंट का विवरण	
								सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता
<b>घोषणा</b>									हां/नहीं के रूप में उपयुक्त
1.	हम घोषणा करते हैं कि हम निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं (क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना								
2.	हम घोषणा करते हैं कि हम आई जी एस टी एक्ट की धारा 16 के तहत अपने निर्यात को शून्य दर रखेंगे								
3.	हम घोषणा करते हैं कि माल को सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है								
हम घोषणा करते हैं कि निर्यात के इस पोस्टल बिल ऑफ़- एक्सपोर्ट में दिए गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही हैं।									
(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)									
परीक्षण आदेश और रिपोर्ट									
लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।									

पार्सल का विवरण														
क्र.सं. नहीं	कन्साइनी का विवरण		उत्पाद का विवरण				पार्सल का विवरण			इ-व्यापार ब्यौरे				
	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएन	मात्रा		इनवॉइस नम्बर तथा दिनांक	वज़न		ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जी. एस. टी आइ एन	यूआरएल (नाम) का वेबसाइट	भुगतान लेन - देन पहचान संख्या	एसकेयू संख्या	डाक ट्रेकिंग संख्या
					इकाई (नग, लीटर, किलोग्राम, मीटर)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारण योग्य मूल्य				कर इनवॉइस या वाणिज्यिक इनवॉइस का विवरण (जो भी लागू हो)				शुल्क/कर का विवरण								कुल		
एफ. ओ. बी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि भारतीय रुपये में	एच एस कोड	इनवॉइस का विवरण		मूल्य	सीमा शुल्क				जीएसटी का विवरण				शुल्क	उपकर	
					इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	इनवॉइस के मद की क्र.सं.		निर्यात शुल्क		उपकर		आई जी एस टी (यदि लागू)		छतिपूर्ति उपकर (यदि लागू)				एल्यूटी/बॉन्ड का विवरण (यदि लागू)
								दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

**पोस्टल बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट -II (पी बी ई- II )**  
( देखें विनियमन 4 )  
( दो प्रतियों में प्रस्तुत करें )

बिल ऑफ़ एक्सपोर्ट की संख्या और दिनांक	विदेशी डाक घर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी. एस. टी आइ एन या जो भी लागू हो)	ए डी कोड (यदि लागू हो)	अधिकृत एजेंट का विवरण	
								सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस संख्या	नाम और पता
<b>घोषणा</b>									हां नहीं जैसा उपयुक्त
1	हम घोषणा करते हैं कि हम निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं (क) प्रतिअदायगी (ख) कोई अन्य योजना								
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आई जी एस टी एक्ट की धारा 16 के तहत अपने निर्यात को शून्य दर रखेंगे								
3	हम घोषणा करते हैं कि माल को सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है								
हम घोषणा करते हैं कि निर्यात के इस पोस्टल बिल ऑफ़- एक्सपोर्ट में दिए गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही है। (निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)									
परीक्षण आदेश और रिपोर्ट									

लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर: सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर और तारीख के साथ।

पार्सल का विवरण													
कन्साइनी का विवरण		उत्पाद का विवरण				पार्सल का विवरण			डाक ट्रेकिंग नंबर	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्धारण योग्य मूल्य			
नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा		इनवॉइस नंबर तथा दिनांक	वजन			एफ. ओ. वी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि भारतीय रुपये में
				इकाई (नग, लीटर, किलोग्राम, मीटर)	संख्या		सकल	निवल					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

कर इनवॉइस या वाणिज्यिक इनवॉइस का विवरण (जो भी लागू हो)				शुल्क/कर का विवरण										
एच एस कोड	इनवॉइस का विवरण		मूल्य	सीमा शुल्क				जी एस टी का विवरण				कुल		
	इनवॉइस संख्या तथा दिनांक	इनवॉइस के मद की क्र.सं.		निर्यात शुल्क		उपकर		आई जी एस टी (यदि लागू)		छतिपूर्ति उपकर (यदि लागू)		एल्यूटी/बॉन्ड का विवरण(यदि लागू)	शुल्क	उपकर
				दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

[फा. सं. 476/3/2018-एलसी]

अनंत राधाकृष्णन, उपसचिव

**नोट:-** प्रधान अधिसूचना सं. 48/2018-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 4 जून, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 525(अ), दिनांक 4 जून, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2022

**No. 103/2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 873(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Exports by Post Regulations, 2018, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Exports by Post (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Exports by Post Regulations, 2018 (hereinafter in these regulations referred to as the said regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1), for the words “international credit and debit cards and as specified”, the words “various electronic means and in accordance with the guidelines issued” shall be substituted.

**3.** In the said regulations, the appended forms shall be substituted with the following forms, namely: -

**“Postal Bill of Export - I (PBE-I)**  
**(see regulation 4)**  
**(For export of goods through E-Commerce)**  
**(To be submitted in duplicate)**

Bill of Export No. and date.	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State code	GSTIN or as applicable	AD code (if applicable)	Details of Authorised Agent	
								Customs Broker License No.	Name and address
<b>Declarations</b>									Yes/No as applicable
1.	We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme								
2.	We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of IGST Act.								
3.	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.								
We hereby declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect.									
(Signature of the Exporter/ Authorised agent)									
Examination order and report									
Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.									

<b>Details of parcel</b>														
Sl. No.	Consignee details		Product details				Details of Parcel			E-commerce particulars				
	Name and Address	Country of destination	Description	CTH	Quantity		Invoice no. and date	Weight		GSTIN of E-commerce operator	URL (Name) of website	Payment transaction ID	SKU No.	Postal tracking number
					Unit (pieces, litres, kgs., meters)	Number		Gross	net					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Assessable value under section 14 of the Customs Act				Details of Tax invoice or commercial invoice ( whichever applicable)			Details of duty/ tax										Total		
FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR	H.S code	Invoice details		value	Customs duties				GST details						Duties	Cess
					invoice no.and date	Sl. No. of item in invoice		Export duty		Cess		IGST (if applicable)		Compensation cess (if applicable)		LUT/ bond details (if applicable)			
								rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

**Postal Bill of Export - II (PBE-II)**

(see regulation 4)

*(To be submitted in duplicate)*

Bill of Export No. and date.	Foreign Post office code	Name of Exporter	Address of Exporter	IEC	State code	GSTIN or as applicable	AD code (if applicable)	Details of Authorised Agent	
								Customs Broker LicenseNo.	Name and address
<b>Declarations</b>									Yes/No as applicable
1	We declare that we intend to claim rewards under export promotion Scheme (a) Drawback (b) Any other Scheme								
2	We declare that we intend to zero rate our exports under section 16 of IGST Act.								
3	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.								
We hereby declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect.									
(Signature of the Exporter/ Authorised agent)									
Examination order and report									
Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.									

Details of parcel													
Consignee details		Product details				Details of Parcel			Postal tracking number	Assessable value under section 14 of the Customs Act			
Name and Address	Country of destination	Description	CTH	Quantity		Invoice no. and date	Weight			FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR
				Unit (pieces, liters, kgs., meters)	Number		Gross	Net					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

Details of Tax invoice or commercial invoice (whichever applicable)				Details of duty/ tax										
H.S code	Invoice details		value	Customs duties				GST details				Total		
	invoice no. and date	Sl. No. of item in invoice		Export duty		Cess		IGST (if applicable)		Compensation cess (if applicable)		LUT/ bond details (if applicable)	Duty	Cess
				rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29".

[F. No. 476/3/2018-LC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 48/2018-Customs (N.T.), dated the 4<sup>th</sup> June, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 525(E), dated the 4<sup>th</sup> June, 2018.